बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

आवंटन पत्र संख्या - 84/XX-4/4(12)/2018

Secretary, Home (S019)

अनुदान संख्या - 010

अलोटमेंट आई डी - S1807100032

आवंटन पत्र दिनांक -04-Jul-2018

HOD Name - Secretary, Human Rights (2556)

1: लेखा शीर्षक 2055 - पुलिस

00 -

001 - निदेशन और प्रशासन

09 - राज्य मानवाधिकार आयोग (20550080022 से स्थानांतरण)

00 - ी

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	30000000	30000000
	0	**30000000**	**30000000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 30000000

5– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरांत व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

6– उक्त चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुदान संख्या 10 के लेखाशीर्षक 2055–पुलिस–001–निदेशक एवं प्रशासन–00–09 राज्य मानव अधिकार आयोग के मानक मद–20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनाादेश संख्याः–519/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 में इंगित दिशा–निर्देशों एवं वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या....70 मतदेय/xxviii5)/2018 दिनांक.... 26–06–2018 में प्राप्त उनकी सहमति एवं संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–अलॉटमेंट आई0डी0

भवदीय,

(उदयवीर सिंह यादव)
अपर सचिव

संख्या– 84 /बीस–4/4(12)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, सी0–1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5. वित्त अनु0–5
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जीवन सिंह)
उप सचिव

प्रेषक,

संख्या- /बीस–4/4(12)/2018

उदयवीर सिंह यादव
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग,
देहरादून।

गृह अनुभाग–4

देहरादूनः दिनांकः 04/7 2018

विषय– आय–व्ययक 2018–19 में अनुदान संख्या–10 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग के लिये प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–9506A/उ0मा0अ0आ0/2018 दिनांक 29–05–2018 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–519/3(50)–2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभाग के अन्तर्गत प्राविधानित वचनबद्ध मद की समस्त धनराशि रू0 3.00 करोड़ (रू0 तीन करोड़ मात्र) संलग्न अलॉटमेंट आई0डी0 के अनुसार निम्न शर्तों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

3– **उक्त स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जा रही हैः–**

1– आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा एवं प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा तथा नियमित रूप से यदि सरकार/शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

2– स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तो में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा एंव अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नही की जायेगी।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः–519/3(150)/XXVII(1)/2018 दिनांक 02.04.2018 में इंगित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन किया जायेगा।

4– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2019 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।